

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखपाल सिंह बनाम सुखदेव कौर आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 13 सन् 2024

जी.सी.एम.एस नम्बर 2024/34

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तामिल
हुकम

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुक्म
की तामील में
जारी हुए

10.10.2024

प्रार्थी सुखपाल सिंह पुत्र आसा सिंह जाति जटसिख निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 36 एफ के खाता संख्या 94/94 के मुरब्बा नम्बर 28 की 6.325 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

24⁰²/₂₅

आज यह पत्रावली पेशी में ली गयी प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(A) के प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(A) के अन्तर्गत धारित किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर वापिस फुलर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर